HARYANA VIDHAN SABHA SECRETARIAT

ADMITTED FOR 28.02.2024

ADMITTED CALLING ATTENTION NOTICE NO.10

Shri Chiranjeev Rao, MLA would like to draw the attention of this august House towards a matter of great public importance on cooperative project scam where public representatives and government officials have allegedly colluded with auditors for personal gains and misused government funds. Government should issue statement on the floor of the House.

ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 19

स्वीकृत ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 10 के साथ संलग्न

ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 19 के द्वारा श्री अभय सिंह चैटाला विधायक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो हरियाणा के अनुसार सहकारिता विभाग में 100 करोड़ से ज्यादा का घोटाला उजागार होने बारे इस महान सदन का ध्यान एक अति लोक हित के विषय की ओर दिलाना चाहते हैं कि अभी हाल में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो हरियाणा के अनुसार सहकारिता विभाग में 100 करोड़ से ज्यादा का घोटाला उजागर हुआ। क्या विडंबना है कि सहकारिता मंत्री के रेवाड़ी जिले में ही अकेले 22 करोड़ रूपये का घोटाला हुआ है? योजना के तहत गांव में गोदाम निर्माण, मुरम्मत, किसानों को प्रशिक्षण, सौर उर्जा पैनल लगाने, चारदिवारी/ पैक की बिल्डिंग का निर्माण इत्यादि कार्यो के लिए कर्ज देने का प्रावधान है। इस योजना के नोडल अधिकारी के रूप में हरको बैंक के एमडी नरेश गोयल 2014 से जमे हुए है जिससे स्पष्ट है कि इतना बड़ा घोटाला करने वाले अधिकारी पर सरकार का पूरा आशीर्वाद है। उच्चतम स्तर पर इतना बड़ा घोटाला बिना सरकारी संरक्षण के संभव नहीं हो सकता। इसी प्रकार के घोटाले पिछले दिनों नगर निगमों/ परिषदों में भी देखने को मिले थे लेकिन सरकार द्वारा जांच के नाम पर लिपापोती के चलते कोई ठोस कार्यवाही आज तक सामने नहीं आई जिससे स्पष्ट है कि सरकार की संलिप्तता ऐसे मामलों में स्पष्ट दिखाई देती है। इस गम्भीर मुद्वे पर सदन में चर्चा होना बहुत जरूरी है क्योंकि हरियाणा के लोगों में सरकार के प्रति भारी रोष व्याप्त है। अतः सरकार इस सदन में अपना वत्तव्य दे।

ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 20

स्वीकृत ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 10 के साथ संलग्न

ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 20 के द्वारा, श्री भारत भूषण बतरा, विधायक, श्री आफताब अहमद, विधायक, श्री वरूण चौधरी, विधायक, श्री रावदान सिंह, विधायक एवं श्री शमशेर सिंह गोगी, विधायक हरियाणा प्रदेश के सहकारिता विभाग की एंकीकृत सहकारी विकास योजना में 100 करोड़ का घोटाला उजागर होने बारे इस महान सदन का ध्यान एक अति लोकहित के विषय की ओर दिलाना चाहते हैं कि हाल ही में हरियाणा प्रदेश के सहकारिता विभाग की एकीकृत सहकारी विकास योजना में 100 करोड़ का घोटाला एवं हिसार जिले में सहकारी समिति का गठन करके कर्मचारियों और आमजन को बैंक से अधिक ब्याज देने का लालच देकर करोड़ों रूपये का घोटाला जनता के सामने उजागर हुए हैं। सरकार प्रतिदिन जनता को जागरूक करके नारा देती है वर्तमान सरकार सभी कार्य पारदर्शिता से करती है। अगर सहकारिता विभाग में कार्य पारदर्शिता से होते तो आज इनते बड़े घोटाले जनता के सामने उजागर न होते। सहकारिता विभाग की एकीकृत सहकारी विकास योजना एवं सहकारिता सोसायटी का आडिट प्रदेश में नाममात्र का ही रह गया है क्योंकि विभाग के

अधिकारी ही सोसायटी के पदाधिकारियों से मिलीभगत करके उनके अनुसार ही आडिट रिपोर्ट तैयार करते हैं। सहकारिता विभाग प्रत्येक जिले की सोसायटियों के आडिट रिपोर्ट का मुख्यालय में क्या उनकी समीक्षा की जाती है और आडिट रिपोर्ट के आधार पर औचक निरीक्षण करके पुनः आडिट मुख्यालय द्वारा करवाया जाता है। अगर सहकारी समितियों की ब्याज दर चिटफंड कम्पनियों के तर्ज पर होगी तो सहकारिता बैंक घाटे में जाएंगे और सहकारी समिति के पदाधिकारियों द्वारा गबन एवं दुरूपयोग की सम्भावना भी बढ़ जाएगी। अतः सरकार इस सदन में इस विषय पर गम्भीरता से चर्चा करवाते हुए अपना वक्तव्य दे।

CALLING ATTENTION NOTICE NO. 34
CLUBBED WITH ADMITTED CALLING ATTENTION NOTICE NO. 10

Smt. Kiran Choudhry, MLA has given the Calling Attention Notice on the Recent mega scam in the utilisation of ICDP funds (Integrated Cooperative Development Programme) in the Cooperation Department of Haryana is a matter agitating the public mind that impels the present notice under Rule 73 of the Rules of Procedure. Already about ten FIRs have been lodged in the matter by the Anti-Corruption Bureau in various districts of the state in the matter. The funds allocated under the ICDP by the Government of India from 2017-18 to 2020-21 have been brazenly siphoned off from the Government Accounts and money meant for the welfare of the farmers and setting up of PACS have been utilized for personal enrichment of vested interests in a blatant and wanton manner. The complete quantum of the scam can be ascertained only after a forensic audit of the accounts. Already the state investigating agencies have arraigned about a dozen persons including officers/officials, auditors and some private individual as accused. Unless a Court monitored CBI probe is conducted in to the matter, masterminds of the seam will go unscathed by pinning the blame on the Junior officials as happened in the cash for job scam, rice mill scam, excise scam, registration deed scam under the present in the past. This is a matter of utmost public import, the same may be taken up for discussion, and the Minister concerned may be asked to make a statement on the floor of the house as per procedure.

ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 43
स्वीकृत ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 10 के साथ सलंग्न

ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 43 के द्वारा श्री नीरज शर्मा विधायक सहकारिता विभाग हरियाणा में हुए घोटाले बारे इस महान सदन का ध्यान एक अति लोक हित के विषय की ओर दिलाना चाहते हैं कि हरियाणा में एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने सहकारिता विभाग हरियाणा की ओर से संचालित एकीकृत सहकारी विकास परियोजना में 100 करोड़ रुपये के घोटाले को बेनकाब किया है। ब्यूरो ने इस मामले में 10 वरिष्ठ अधिकारियों और चार निजी व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। सहकारिता विभाग के सहायक रजिस्ट्रार सहकारी समिति जिला रजिस्ट्रार सहकारी समिति द्वारा ऑडिटर की मिलीभगत से सरकारी खाते में जमा राशि से निजी हित में फ्लैट और जमीन खरीदी जा रही थी। इन अधिकारियों की ओर से सरकारी रिकॉर्ड में बैंक खातों संबंधी विवरण भी जाली लगाया गया था। इस पूरे मामले में एकीकृत सहकारी विकास परियोजना के नाम पर लगभग 100 करोड़ रुपये का गबन सामने आया है। आरोपियों के खिलाफ करनाल और

अम्बाला रेंज में विभिन्न धाराओं के तहत मुकादमा दर्ज किया गया है। सरकार इस पर सदन में चर्चा करे और बताए कि अभी तक इस मामले में क्या कार्यवाही हो रही है।

ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 10 और साथ जोड़ी गई ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 19, 20, 34 एवं 43 का उत्तर

एकीकृत सहकारी विकास परियोजना (आई.सी.डी.पी.) हरियाणा राज्य में वर्ष 1992 में शुरू की गई थी।

1. आई.सी.डी.पी. चरण-I: प्रथम चरण में, हरियाणा राज्य के सभी जिलों को कवर करते हुए 17 परियोजनाएं वर्ष 1992 में शुरू की गईं और 2013 में पूरी हुईं। इन परियोजनाओं के लिए जारी की गई कुल राशि 135.56 करोड़ रूपए जिसमें से 132.19 करोड़ रुपए का उपयोग किया गया और शेष राशि 3.37 करोड़ रुपए सरकारी खजाने में जमा हुई।

2. आई.सी.डी.पी. चरण-II: इस चरण में सात जिलों में परियोजनाएं अर्थात् भिवानी में मार्च 2011, पंचकुला, अंबाला, सिरसा, हिसार में मार्च 2013, फतेहाबाद में जून 2013 और रेवाड़ी में अप्रैल, 2017 में स्वीकृत की गई, जो कि क्रमशः मार्च 2018, मार्च 2018, दिसम्बर 2019, अगस्त 2020, सितम्बर 2020, अगस्त 2020 एवं मार्च 2022 में पूरी हुईं। इन 7 परियोजनाओं के लिए कुल राशि 131 करोड़ रुपए जारी की गई, जिसमें से 107 करोड़ रूपए का उपयोग किया गया और 19.50 करोड़ रुपये सरकारी कोष में जमा हुए।

3. राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) की एक पैनलबद्ध सलाहकार एजेंसी द्वारा अन्य 6 जिलों कैथल, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, सोनीपत और गुरुग्राम की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार की गई थी जो कि जुलाई एवं अगस्त 2019 में प्रस्तुत की गई। परियोजना स्वीकृति पत्र दिनांक 30 मार्च 2021 को जारी किए गए थे। ये परियोजनाएं 31 मार्च 2024 तक चालू हैं। इन 6 परियोजनाओं के लिए जारी की गई राशि 61.65 करोड़ रूपए थी, जिसमें से 19.46 करोड़ रुपये का उपयोग किया गया एवं 9 करोड़ रुपए सरकारी कोष में जमा किए गए। अनुमान तैयार करने, निविदाएं जारी करने और सिविल कार्यों के निष्पादन के लिए जमा कार्य के रूप में हैफेड और हरियाणा वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन को 29 करोड़ रुपये हस्तांतरित किए गए थे। शेष राशि लगभग 4 करोड़ रूपए क्षेत्रीय कार्यालयों के खातों में उपलब्ध हैं।

4. सरकार के निर्देश दिनांक 17 नवम्बर, 2022 के अनुसार भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, हरियाणा द्वारा जांच शुरू की गई एवं मई व जुलाई, 2023 में 4 एफ.आई.आर. दर्ज की गई। सरकार ने 11 जुलाई, 2023 को 6 जिलों (कैथल, कुरूक्षेत्र, करनाल, पानीपत, सोनीपत और गुरुग्राम) में चल रही परियोजनाओं के बैंक खातों को फ्रीज करने हेतु हिदायत भी जारी की तथा निर्देश दिए कि वेतन और कार्यालय व्यय के अलावा आई.सी.डी.पी. के किसी भी फंड का उपयोग न किया जाए। इसके अतिरिक्त 2023-24 के दौरान भी कोई धनराशि जारी नहीं की गई।

5. भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा जांच को आगे बढाते हुए जनवरी एवं फरवरी, 2024 में 9 एफ.आई.आर. भी दर्ज की गई। इन 13 एफ.आई.आर. के अनुसार कुल कथित राशि 8.80 करोड़ रूपए है।

6. सरकार ने अनुच्छेद 311 (2बी) का प्रयोग करते हुए दिनांक 23 अक्तूबर, 2023 को श्री सुमित अग्रवाल, वरिष्ठ लेखा परीक्षक तथा दिनांक 21 फरवरी, 2024 को श्रीमती अनु कोशिश, सहायक रजिस्ट्रार सहकारी

समितियां, श्री योगेन्द्र अग्रवाल, उप मुख्य लेखा परीक्षक और श्री राम कुमार, सहायक रजिस्ट्रार सहकारी समितियां को बर्खास्त कर दिया।

7. एफ.आई.आर. में वर्णित एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा गिरफ्तार अन्य सभी 9 अधिकारी अर्थात् श्री कृष्ण चंद बेनीवाल, सहायक रजिस्ट्रार सहकारी समितियां को दिनांक 4 फरवरी, 2024, श्री जितेंद्र कौशिक, सहायक रजिस्ट्रार सहकारी समितियां दिनांक 4 फरवरी, 2024, श्री संजय हुडा, महाप्रबंधक केंद्रीय सहकारी बैंक दिनांक 5 फरवरी, 2024, श्री बलविंदर सिंह, लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां दिनांक 6 फरवरी, 2024, श्री रोहित गुप्ता, उप रजिस्ट्रार सहकारी समितियां दिनांक 7 फरवरी, 2024, श्री विजय सिंह, प्रबंधक हरको बैंक दिनांक 7 फरवरी, 2024, श्री संदीप खटकड़, सहायक रजिस्ट्रार सहकारी समितियां दिनांक 13 फरवरी, 2024, श्रीमती सुनीता ढाका, सहायक रजिस्ट्रार सहकारी समितियां दिनांक 15 फरवरी, 2024 और श्री नरेंद्र कुमार, सहायक रजिस्ट्रार सहकारी समितियां दिनांक 26 फरवरी, 2024 को निलंबित कर दिया गया।

8. भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की तफतीश में पाया गया कि आई.सी.डी.पी. के अधिकतर कार्य दोषी स्टालिन जीत सिंह की कम्पनियों/फर्मस को अलाट किए गए। यह भी पता चला कि वह पिछले 20 वर्षो से सहकारिता विभाग से संबंधित कार्य कर रहा था।

9 ऑडिट विंग के अधिकारी/कर्मचारी अर्थात् श्री संदीप कुमार, लेखा परीक्षक, श्री विनोद कुमार, लेखा परीक्षक, श्री ईश्वर सिंह, वरिष्ठ लेखा परीक्षक और श्रीमती नीलम ढींगरा, वरिष्ठ लेखा परीक्षक को ऑडिट करने में लापरवाही के कारण दिनांक 17 फरवरी, 2024 को निलंबित कर दिया गया और उनके खिलाफ आरोप पत्र जारी किया गया।

10. श्री नरेश गोयल, प्रबंध निदेशक हरियाणा राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (एचएससीएआरडीबी) को जुलाई, 2017 में नोडल अधिकारी आई.सी.डी.पी. का अतिरिक्त प्रभार दिया गया था, न कि 2014 में। हालांकि, नोडल अधिकारी आई.सी.डी.पी. का प्रभार दिनांक 05.02.2024 को अन्य अधिकारी को दे दिया गया है।

11. प्रथम चरण की 17 परियोजनाओं में से 14 आई.सी.डी.पी. परियोजनाओं का ऑडिट पूर्ण हो चुका है। इसके अतिरिक्त दूसरे चरण के प्रथम भाग की 2 परियोजनाओं का ऑडिट पूर्ण हो चुका है तथा शेष 5 परियोजनाओं की अंतरिम आडिट रिपोर्ट जारी कर दी गई है तथा भाग-2 की परियोजनाओं का ऑडिट सक्रिय प्रगति पर है।

12. सरकार ने वर्ष 2000 के बाद स्वीकृत सभी आई.सी.डी.पी. परियोजनाओं का फोरेंसिक और तीसरे पक्ष से वित्तीय ऑडिट कराने का भी निर्णय लिया है और इस संबंध में सरकार द्वारा प्रमुख समाचार पत्रों में स्वतंत्र ऑडिटिंग फर्मों के पैनल हेतु दिनांक 06 फरवरी 2024 को विज्ञापन जारी किया जा चुका है।

13. सहकारिता विभाग द्वारा लगातार दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध कार्यवाही की जाती रही है तथा श्री अनमोल रतन, लेखा परीक्षा अधिकारी को दिनांक 04 अक्तूबर 2021, श्री योगेन्द्र अग्रवाल, उप मुख्य लेखा परीक्षक दिनांक 08 नवम्बर 2021, श्री प्रवीण गुप्ता, लेखा परीक्षा अधिकारी दिनांक 19 अप्रैल 2022, श्री इंदर सिंह, उप अधीक्षक दिनांक 15 दिसम्बर 2022, श्री जिले सिंह, लिपिक दिनांक 15 दिसम्बर 2022 और श्री नवल सिंह, लिपिक दिनांक 15 दिसम्बर 2022 को निलंबित किया गया एवं आरोप पत्र जारी किए गए। इसके अतिरिक्त श्रीमती अनु कोशिश, सहायक रजिस्ट्रार सहकारी समितियां, श्री भूपेन्द्र यादव, निरीक्षक, श्री नगेंद्र कुमार, निरीक्षक और श्री अनिल कुमार, निरीक्षक को भी आरोप पत्र जारी किए गए।

14. सैलरी अर्नर्स थ्रिफ्ट एंड क्रेडिट (एस.ई.टी.सी.) सहकारी समितियां और गैर कृषि थ्रिफ्ट एंड क्रेडिट (एन.ए.टी.सी.) सहकारी समितियां का मुख्य उद्देश्य जमा स्वीकार करके सदस्यों के बीच बचत और बचत की आदतों को प्रोत्साहित करना और अपने सदस्यों को सुविधाजनक और आसान शर्तों पर ऋण सुविधाएं प्रदान करना है। एस.ई.टी.सी. समिति और एन.ए.टी.सी. समिति में बुनियादी अंतर यह है कि एस.ई.टी.सी. समिति के सदस्य केवल वेतनभोगी कर्मचारी ही बन सकते हैं जबकि एन.ए.टी.सी. समिति की सदस्य आम जनता बन सकती है।

15. हरियाणा राज्य में 326 एस.ई.टी.सी. और एनएटीसी सहकारी समितियां कार्यरत हैं जिनमें से हिसार जिले में 133 समितियां हैं। एस.ई.टी.सी. और एन.ए.टी.सी. समितियों के उपनियमों के अनुसार, जमा स्वीकार करने के साथ-साथ अग्रिम ऋण देने के लिए ब्याज दर क्रमशः प्रबंध कमेटी और आम सभा द्वारा तय की जाती है। हालाँकि कई समितियाँ अच्छी तरह से काम कर रही हैं, फिर भी कुछ सहकारी समितियों (लगभग 20) की प्रबंध कमेटी ने जमा राशि का दुरूपयोग किया या बिना उचित सत्यापन आदि के ऋण आबंटन किया। इसके परिणामस्वरूप ऋण की खराब वसूली हुई और अंततः, जमाकर्ताओं को उनकी जमा राशि की वापसी नहीं हो पाई या वापसी में परेशानियां आईं।

16. जब अनियमितताएं विभाग के संज्ञान में आईं तो राज्य में नई एस.ई.टी.सी. और एन.ए.टी.सी. सहकारी समितियों के पंजीकरण पर वर्ष 2001 में प्रतिबंध लगा दिया गया।

17. ऐसे मामलों में जहां समिति की प्रबंध कमेटी के सदस्यों/ कर्मचारियों ने जमा राशि का दुरुपयोग किया है, उनके विरूद्ध हरियाणा सहकारी समिति अधिनियम, 1984 ('अधिनियम') की धारा 101 के तहत अधिभार की कार्यवाही शुरू की जाती है। अधिनियम की धारा 110 और 111 के तहत दोषियों से समिति के धन की वसूली उनकी चल/अचल संपत्ति की कुर्की और बिक्री के माध्यम से की जाती है। जमाकर्ताओं को जमा राशि की वापसी ऐसी कुर्क संपत्तियों की बिक्री के माध्यम से की जाती है।

***

Reply to the Calling Attention Notice No. 10 and clubbed Calling Attention Notices No.(s) 19,20,34 and 43

Integrated Cooperative Development Project (ICDP) was commenced in the State of Haryana in 1992.

1. ICDP Phase-I: In the first phase, 17 Projects covering all districts of State of Haryana were initiated in 1992 and completed in 2013. Total amount released for these projects was Rs. 135.56 crore, out of which Rs. 132.19 crore were utilized and the balance amount of Rs. 3.37 crore was deposited in Government treasury.

2. ICDP Phase-II: The Projects were sanctioned in 7 districts namely Bhiwani in March 2011,Panchkula, Ambala, Sirsa, Hisar in March 2013, Fatehabad in June 2013 and Rewari in April 2017. They were completed respectively in March 2018, March 2018, December 2019, August 2020, Septeber 2020, August 2020 and March 2022. The total amount released for these 7 projects was Rs. 131 crore, out of which Rs. 107 crore were utilized and the amount Rs. 19.50 crore was deposited in Govt. treasury.

3. The Detailed Project Reports (DPR) of the other 6 Districts i.e. Kaithal, Kurukshetra, Karnal, Panipat, Sonipat and Gurugram were prepared by an empanelled Consultant Agency of National Cooperative Development Corporation (NCDC) and the DPRs were submitted in July & August 2019. Project sanction letters were issued on 30 March 2021.These projects are operative till 31 March 2024. The amount released for these 6 projects was Rs. 61.65 crore, out of which Rs. 19.46 crore were utilized, Rs. 9 crore were deposited in Govt. treasury. An amount of Rs. 29 crore was transferred to Hafed and Haryana Warehousing Corporation as deposit work for preparing of estimates, floating of tenders and execution of civil works. The balance amount of Rs. 4 crore approx. is lying in the accounts of field offices.

4. On the directions of Government dated 17th November 2022, the Anti Corruption Bureau, Haryana initiated an inquiry and registered 4 FIRs in the months of May and July, 2023. Government also issued instructions on 11th July, 2023 to freeze the bank accounts of ongoing projects running in 6 districts (Kaithal, Kurukshetra, Karnal, Panipat, Sonipat and Gurugram) and directed that no funds of ICDP be utilized except for salary and office expenses. Further, no funds have been released during 2023-24.

5. The Anti Corruption Bureau further investigated and registered 9 FIRs in the months of January and February, 2024. As per these 13 FIRs, total alleged amount comes to Rs.8.80 crores.

6. Government has invoked Article 311(2b) and dismissed Sh. Sumit Aggrawal, Senior Auditor on 23rd October 2023 and Smt. Anu Koshish, Assistant Registrar Cooperative Societies, Sh. Yogender Aggrawal, Deputy Chief Auditor and Sh. Ram Kumar, Assistant Registrar Cooperative Societies on 21st February, 2024.

7. All other 9 officers named in the FIRs and arrested by Anti Corruption Bureau have been placed under suspension namely Sh. Krishan Chand Beniwal, ARCS on 4th February 2024, Sh. Jitender Kaushik, ARCS on 4th February 2024,Sh. Sanjay Hooda, General Manager Central Cooperative Bank on 5th February 2024, Sh. Balwinder Singh, Audit Officer on 6th February 2024, Sh. Rohit Gupta, DRCS on 7th February 2024, Sh. Vijay Singh, Manager Harco Bank on

7th February 2024, Sh. Sandeep Khatkar, ARCS on 13th February 2024, Smt. Sunita Dhaka, ARCS on 15th February 2024 and Sh. Narender Kumar, ARCS on 26th February 2024.

8. The investigation by the Anti Corruption Bureau have revealed that most of the ICDP works have been allotted to companies/firms owned by accused Stalinjeet Singh. It was revealed that he has been working with the Cooperation Department of Haryana for the last 20 years.

9. The officers/officials of Audit Wing who were found negligent in conducting the audit namely Sh. Sandeep Kumar Auditor, Sh.Vinod Kumar Auditor,Sh. Ishwar Singh Senior Auditor and Smt. Neelam Dhingra Senior Auditor have also been placed under suspension on 17th February 2024 and have been chargesheeted.

10. Sh. Naresh Goyal, MD Haryana State Cooperative Agriculture & Rural Development Bank (HSCARDB) was assigned additional charge of Nodal Officer, ICDP in July, 2017 and not in 2014. This charge of Nodal Officer has been assigned to another officer on 05.02.2024.

11. The audit of 14 ICDP Projects out of 17 Projects of Phase-I was completed by Audit Wing. Further, audit of 2 projects of Part-I of Phase-II has been completed and for the remaining 5 projects, interim reports have been released. The audit of six projects of Part-II of Phase-II is under active progress.

12. Government has also decided to go for forensic and third party financial audit of the all projects sanctioned since 2000 and in this regard, advertisement has been issued by Department, in leading newspapers for empanelment of independent auditing firms on 6th February 2024.

13. Cooperation Department has been consistently taking action against erring officers/officials and has suspended Sh. Anmol Ratan, Audit Officer on 4th October 2021, Sh. Yogender Aggrawal, Deputy Chief Auditor on 8th November 2021, Sh. Praveen Gupta, Audit Officer on 19th April 2022,, Sh. Inder Singh, Deputy Superintendent on 15th December 2022, Sh. Jile Singh, Clerk on 15th December 2022 and Sh. Nawal Singh, Clerk on 15th December 2022 and were chargesheeted. Apart from them, Smt. Anu Koshish, ARCS, Sh. Bhupender Yadav Inspector, Sh. Nagender Kumar Inspector and Sh. Anil Kumar Inspector were also chargesheeted.

14. The main objective of Salary Earners' Thrift & Credit (SETC) Cooperative Societies and Non Agricultural Thrift & Credit (NATC) Cooperative Societies is to encourage thrift and saving habits amongst the members by accepting the deposits and to provide credit facilities to its members on convenient and easy terms. The basic difference between SETC and NATC societies is that only salaried employees can become members of SETC society whereas general public can become member of NATC society.

15. In Haryana there are 326 SETC and NATC working cooperative societies and in Hisar there are 133 societies. As per bye-laws of SETC and NATC societies, rate of interest for accepting deposits and advancing loans are decided by the Managing Committee and the General Body respectively. Though many societies are functioning well yet the Managing Committees of some Societies (20 approximately) misutilised the deposits or advanced loans without proper verification etc. It resulted into poor recovery of loans and ultimately, poor refund or non-refund of deposits to the depositors.

16. When the irregularities came to notice of the Department, the registration of new SETC and NATC cooperative societies was banned in the State in 2001.

17. In cases where Managing Committee members/employees of the Society misutilised the deposits, surcharge proceedings under Section 101 of the Haryana Cooperative Societies Act, 1984 ('the Act') are initiated against them. The recovery of funds of the society from the delinquents, is made by way of attachment and sale of their movable/immovable property, under Section 110 and 111 of the Act. The refund of deposits to the depositors is effected through sale of such attached properties.

***